राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 26/2017..... जिला .....धौलपुर.....

उनवान : मैसर्स राजस्थान एक्स्प्लोसिव एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भरतपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/01/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन संख्या 106/सीएसटी/2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2013–14 का नियमित कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत दिनांक 22.06.2016 को पारित किया गया था, जिसमें घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं करने के कारण अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके विरूद्ध जो भी मांग बकाया है, वह मात्र केन्द्रीय अधिनियम के तहत अपेक्षित घोषणा पत्र 'सी' समय पर प्रस्तुत नहीं होने की वजह से सृजित की गयी है। यह भी कथन किया कि बकाया घोषणा पत्र 'सी' विलम्ब से प्राप्त हुए थे, जिन्हें भी अब कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं, अतः सृजित मांग केवल बकाया घोषणा पत्रों से सम्बन्धित होने से वसूली योग्य नहीं है अतः इसे स्थगित किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया गया है, जिसमें उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में स्थगन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधाार नहीं दिया गया है। इस तरह केवलमात्र बकाया घोषणा पत्रों के लिये सृजित मांग पर स्थगन दिया जाना विधिक एवं न्यायिक रूप से आवश्यक है। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 26/2017..... जिला .....धौलपुर.....

उनवान : मैसर्स राजस्थान एक्स्प्लोसिव एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भरतपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/01/2017	प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सृजित मांग केवलमात्र बकाया घोषणा पत्रों के कारण सृजित हुई है एवं बकाया घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना भी बताया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि **रूपये 1,02,79,936/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 12.1.17 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 12.1.17 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	